

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

SENT BY E-MAIL.

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-07(एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 29.01.2026

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45/(एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ।

क	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)
1.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवरी श्री महेश कुमार झा	तहसील देवरी एवं केसली	आपराधिक प्रकरण - सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। - समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी देवरी एवं केसली के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित आपराधिक अपील प्रकरण एवं पुनरीक्षण याचिकायें। - पुलिस आरक्षी केन्द्र देवरी एवं गौरझामर से उत्पन्न सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)। - विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील देवरी क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व्यवहार प्रकरण - जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां - पुलिस आरक्षी केन्द्र केसली एवं महाराजपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त प्रकृति के मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां - समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवरी एवं केसली के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें - रुपये 10000001/- अंकन एक करोड एक रुपये से 50000000/- अंकन पांच करोड रुपये तक के सिविल वाद प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां - तहसील केसली से संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण - हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) - हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।

			12. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 13. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां। 14. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) 15. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियां 16. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण 17. बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें। 18. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश।
2.	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवरी श्री अनिल कुमार करोरिया	तहसील देवरी एवं केसली	आपराधिक प्रकरण 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पुलिस आरक्षी केन्द्र केसली एवं महाराजपुर से उत्पन्न सभी जमानत संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 3. तहसील देवरी एवं केसली से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें। 4. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण 5. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी देवरी के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त अपीलें व पुनरीक्षण याचिका व्यवहार प्रकरण 6. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 7. रुपये 50000001/- अंकन पांच करोड़ एक रुपये एवं उससे अधिक के सिविल वाद प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 8. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवरी के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त नियमित एवं विविध अपीलें 9. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 10. भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रकरण 11. M0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण 12. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा

		मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें 13. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/- अंकन पांच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो। 14. थाना देवरी एवं गौरझामर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 15. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण 16. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां। 17. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक का हो। 18. नगर दण्डाधिकारी देवरी के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें। 19. तहसील देवरी से उत्पन्न म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां 20. तहसील क्षेत्र देवरी से संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के सुनवायी योग्य समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों। 21. पूर्व पदस्थ समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी (रिक्त न्यायालय) के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियों से संबंधित समस्त कार्य।
--	--	---

नोट— उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 24.01.2026

01. अति0 अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी (श्री अनिल कुमार करोरिया)
02. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवरी (श्री महेश कुमार झा)
03. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ देवरी।

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)